न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 130/2017 **दायरा दिनांक : 21.08.2017**

उनवान

1— रमेश चन्द आत्मज स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ—45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2— राजेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी खण्डेलवाल मेडीकल स्टोर, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3— आकाश आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी खण्डेलवाल मेडीकल स्टोर, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती उषा पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, पत्नी श्री हरीश जी खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासी किराना मर्चेन्ट मैन मार्केट अकलेरा रोड, बस स्टैण्ड के पास मनोहरथाना तहसील मनोहरथान, जिला झालावाड

2— श्रीमती सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री गोपाल जी गुप्ता, निवासी 202 कृष्णा कम इलेवन्थ रोड़ क्रोसिंग ऑफ आठवीं रोड़ एम वी रोड़ एण्ड लिंग रोड़ के बीच मधु पार्क के पास खार पोस्ट मुम्बई ।

3– श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री खेमराज जी मेहता, निवासी 280 बसन्त बिहार, तीन बच्ची चौराहै के पास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

4– श्रीमती संतोष पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री सतीश जी, जाति महाजन, निवासी 22/161 उसरी गेज, अजमेर

5– श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री विष्णु महाजन, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ–45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6– हर्ष खण्डेलवाल आयु 16 वर्ष पुत्र श्रीमती सुनीता, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 – एफ – 45 महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा नाबालिंग जर्ये बबिलायत माता स्वयं श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल (रेस्पाडेंट क्रम 5) जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ–45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 131/201 7 **दायरा दिनांक : 21.08.2017**

उनवान

1– श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री विष्णु महाजन, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ–45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2– हर्ष खण्डेलवाल आयु 16 वर्ष पुत्र श्रीमती सुनीता, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 – एफ – 45 महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा नाबालिंग जर्ये बबिलायत माता स्वयं श्रीमती सुनीता खण्डेलवाल जाति महाजन, निवासी 9 एफ–45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती उषा पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, पत्नी श्री हरीश जी खण्डेलवाल, जाति महाजन, निवासी किराना मर्चेन्ट मैन मार्केट अकलेरा रोड, बस स्टैण्ड के पास मनोहरथाना तहसील मनोहरथान, जिला झालावाड

2— रमेश चन्द आत्मज स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ—45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

3— श्रीमती सुशीला पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री गोपाल जी गुप्ता, निवासी 202 कृष्णा बांग 11 रोड़ क्रोसिंग 8 रोड़ एम वी रोड़ एण्ड लिंग रोड़ के बीच मधु पार्क के पास खार पोस्ट मुम्बई ।

4— श्रीमती गीता पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री खेमराज जी मेहता, निवासी 280 बसन्त बिहार, तीन बच्ची चौराहै के पास, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

5— श्रीमती संतोष पुत्री स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी पत्नी श्री सतीश जी, जाति महाजन, निवासी 22/161 उसरी गेज, अजमेर

5— श्रीमती सुनीता पत्नी स्वर्गीय श्री विष्णु महाजन, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी 9 एफ—45, महावीर नगर तृतीय, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6— राजेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री मदनमोहन जी, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी खण्डेलवाल मेडीकल स्टोर, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— आकाश आत्मज श्री राजेन्द्र कुमार, जाति खण्डेलवाल महाजन, निवासी खण्डेलवाल मेडीकल स्टोर, मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

...... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 17.11.2017

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 16/2012 निर्णय दिनांक 19.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि प्रार्थिया के पैतृक आराजी तहसील मांगरोल, ग्राम बालापुरा में खसरा नम्बर 104 रकबा 92 बीघा 2 बिस्वा स्थित है । यह आराजी प्रार्थिया के दादा हरिदास जी के खाते में दर्ज थी । उनके मरने के बाद आराजी अप्रार्थी नम्बर 1 और जगन्नाथी बाई के खाते दर्ज हुई । जगन्नाथी बाई ने जरिये वसीयत खसरा नम्बर 329/811 रकबा 3.66 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 6 एवं खसरा नम्बर 329/812 रकबा 3.65 हैक्टर अप्रार्थी नम्बर 2 के नाम कर दी । वसीयत के आधार पर अप्रार्थी नम्बर 6 और 2 का नामान्तरकरण भी तस्दीक हो चुका है । रमेश चन्द ने यह आराजी अपनी दूसरी पत्नी सुनीता के नाम बेचान कर दी और सुनीता का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गया । अप्रार्थी नम्बर 1 के खाते में खसरा नम्बर 325 रकबा 5.38 हैक्टर, खसरा

नम्बर 329 रकबा 1.92 हैक्टर कुल 7.31 हैक्टर आराजी दर्ज है जो प्रार्थिया के दादा व जगन्नाथी बाई के मरने के बाद दर्ज हुई है । इस आराजी में प्रार्थिया व अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 6 का समान हिस्सा है जिसे प्रार्थिया प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अप्रार्थी प्रार्थिया को उसके हिस्से की आराजी नहीं संभला रहे हैं और आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं । अप्रार्थी नम्बर 2 ने अप्रार्थी नम्बर 7 के पक्ष में जो बेचान किया है वह प्रभावशून्य है । प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी में 1/7 हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है । अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि वादग्रसत आराजी को मुन्तकिल न करें, रहन बेचान न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.06.2017 को प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील संख्या 130/2017 अपीलांटगण रमेश चन्द्र, राजेन्द्र और आकाश के द्वारा पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि प्रार्थिया का इस आराजी पर कब्जा नहीं है । उन्हें दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलांट को जवाब पेश करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अभिभाषक को सुने बिना कैम्प में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । कैम्प में उपस्थित होने के लिए अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई है । प्रकरण में दिनांक 09.03.2017 के बाद दिनांक 03.05.2017 की तारीख नियत की गई थी । दिनांक 03.05.2017 को पत्रावली न्यायालय में पेश नहीं की गई । आगामी तारीख नियत नहीं की गई है और अपीलांट को सूचना दिये बिना राजस्व कैम्प में पत्रावली रखी गई । जगन्नाथी बाई के हिस्से में 1/2 भाग दर्ज था और उनके द्वारा एक वसीयत सन् 1975 में अपीलांट नम्बर 1 और 2 के पक्ष में निष्पादित की थी । जगन्नाथी बाई की मृत्यु हो चुकी है । अपीलांट नम्बर 1 और 2 कानूनन इस आराजी के खातेदार हो गये हैं, शेष 1/2 भाग में मदनमोहन ही सहखातेदार हैं । अपीलांट नम्बर 1 और 2 ने व मदनमोहन जी ने

आपसी सहमति से आराजी का विभाजन कर लिया है और बंटवारे के अनुसार आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज हो चुकी है । आराजी पैतृक नहीं है मदन मोहन ने अपीलांट नम्बर 3 के पक्ष में खसरा नम्बर 325 रकबा 3.20 हैक्टर आराजी की वसीयत निष्पादित की है । यह वसीयत उप–पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध है । मदन मोहन जी का स्वर्गवास हो चुका है । अपीलांट नम्बर 1 ने खसरा नम्बर 329/872 की आराजी सुनीता पत्नी विष्णु को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान की है जो उनके खाते दर्ज हो चुकी है । क्रेता सुनीता आवश्यक पक्षकार थी जिन्हें पक्षकार बनाये बिना ही दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया था । खातेदार एवं काबिज काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अपीलांट नम्बर 3 की ओर से पेश किया गया है और यह कथन किया गया है कि वह खसरा नम्बर 325 रकबा 3.20 हैक्टर के खातेदार एवं काबिज काश्तकार एवं हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अपील संख्या 131/2017 अपीलांटगण सुनीता और हर्ष खण्डेलवाल के द्वारा पेश की गई है और यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का कोई आधार अंकित नहीं किया है । प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है । आराजी पुश्तैनी नहीं है । आराजी के बाबत मदन मोहन ने दिनांक 21.02.2012 को खसरा नम्बर 325 रकबा 5.38 हैक्टर में से 2.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.93 हैक्टर में से 1.02 हैक्टर कुल 3.20 हैक्टर आराजी की वसीयत अपीलांट नम्बर 2 हर्ष खण्डेलवाल के हक में की है

जिसका पंजीयन उप–पंजीयक कार्यालय में करवाया गया है । मदनमोहन जी की मृत्यु हो चुकी है । अपीलांट नम्बर 2 को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र पेश किया है जो अवैध है । जगन्नाथी बाई ने अपने 1/2 हिस्से की वसीयत रमेश चन्द्र एवं राजेन्द्र के हक में की थी जिसके आधार पर वे 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त है । आराजी का बंटवारा कर लिया गया था और नामान्तरकरण संख्या 79 से खाते पृथक हो चुके थे । सुनीता के पक्ष में निष्पादित किया गया विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध है । रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्त व्यक्ति के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र अपीलांट नम्बर 2 की ओर से पेश किया गया और यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 325 रकबा 2.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 329 रकबा 1.02 हैक्टर के वे खातेदार है इस कारण हितबद्ध पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति दी जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी दोनों पत्रावलियों में पेश किये हैं । पत्रावली संख्या 130/2017 में आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या नया 109 पेश की गई है जिसमें मदनमोहन के खाते में दो किता की 7.31 हैक्टर आराजी दर्ज है और इसमें नामान्तरकरण संख्या 623 दिनांक 05.04.

2013 का हवाला है जिसके अनुसार दो किता की 3.20 हैक्टर आराजी हर्ष खण्डेलवाल के नाम दर्ज हुई है और नामान्तरकरण संख्या 624 का हवाला है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 325 की आराजी में से 3.20 हैक्टर आराजी आकाश के नाम दर्ज हुई है । नामान्तरकरण संख्या 638 के अनुसार मदनमोहन के स्थान पर वारिसान रमेश चन्द, राजेन्द्र पुत्र सुशीला, गीता, संतोष पुत्रियों का नाम दर्ज है । अपील संख्या 131/2017 में जो आर्डर 41 नियम 27 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 पेश की गई है और उसमें भी नामान्तरकरण संख्या 623, 624, 638 का हवाला है । नामान्तरकरण संख्या 638 में इस पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी में मदन मोहन के वारिसों में रमेश, राजेन्द्र के अलावा पुत्रियां सुशीला, गीता, संतोष, उषा का नाम भी अंकित है जबकि प्रकरण संख्या 130/2017 में जो जमाबंदी की नकल पेश की गई है उसमें उषा का नाम अंकित नहीं है ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकीय त्रुटिवश यह नाम रह गया है । इन दोनों प्रार्थना पत्रों के साथ राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां सलंग्न होने के कारण न्यायहित में दोनों प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर पेश किये गये दस्तावेज को रेकार्ड में लेने की अनुमति दी जाती है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी जगन्नाथी बाई के द्वारा जरिये वसीयत राजेन्द्र एवं रमेश चन्द को दी गई थी जो उनके खाते में दर्ज हो चुकी है और रमेश चन्द्र ने आराजी का बेचान सुनीता को किया है । पत्रावली अप्रार्थी क्रम 3 की तलबी में चल रही थी, तलबी की स्टेज पर अपीलांट को सूचना दिये बिना लोक अदालत में रखा गया और निर्णय पारित किया गया । अपीलांट नम्बर 1 और 2 जवाब पेश नहीं कर पाये । अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है । जगन्नाथी बाई अपने खाते की एक मात्र खातेदार थी जिसे अपनी आराजी को वसीयत करने का पूर्ण

अधिकार था । आराजी पुश्तैनी नहीं है । खातेदार एवं काबिज काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । हितबद्ध पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है । प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन और अपूर्णीय क्षति इन तीनों बिन्दु की विवेचना नहीं की गई है । अतः दोनों अपीले अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2016–17 सप्लीमेंट्री पेज 637 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में उनके द्वारा कथन किया गया कि दिनांक 09.03.2012 के आदेश में अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु का विस्तार से वर्णन किया गया है और दिनांक 17.06.2017 को इस आदेश को कन्फर्म किया गया है । चार वर्ष बाद भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सके हैं । ऐसी स्थिति में एक पक्षीय आदेश को कन्फर्म करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था । हरिदास की मृत्यु के बाद आराजी उनकी पत्नी जगन्नाथी बाई और बेटे मदनमोहन के नाम दर्ज की गई है । मदन मोहन या जगन्नाथी बाई ने इसको क्रय नहीं किया था । इस कारण आराजी पैतृक है । हर्ष खण्डेलवाल, रमेश चन्द का पुत्र नहीं है । हर्ष खण्डेलवाल विष्णु महाजन का पुत्र है जिसको रमेश चन्द्र का पुत्र बताकर दबाव बनाकर वसीयत करवायी गयी है । रमेश चन्द्र की पहली पत्नी सावित्री देवी और पुत्र सतीश और आशा मौजूद है जिनको रमेश चन्द्र ने छोड़ रखा है । हर्ष खण्डेलवाल मदनमोहन जी का पौत्र नहीं है । मदनमोहन 1/8 हिस्से की वसीयत कर सकते थे, उससे अधिक आराजी की वसीयत नहीं कर सकते थे । जगन्नाथी बाई की वसीयत भी रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रभावशून्य है क्योंकि जगन्नाथी बाई को आराजी अपने पिता से प्राप्त हुई थी । उनकी स्वअर्जित नहीं थी । जगन्नाथी बाई का इसमें सिर्फ 1/9 हिस्सा बनता था । रेस्पोडेंट हरिदास की पौत्री है । इस बात का अपीलांट ने खण्डन नहीं किया

है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये । रेस्पोडेंट ने आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है और प्रार्थना पत्र को रेकार्ड पर लेने में आपत्ति व्यक्त नहीं की है । कुछ दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी रेस्पोडेंट की ओर से पेश की गई है जो सत्य प्रतियां नहीं होने के कारण इनको रेकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है । अपने पक्ष के समर्थन में उनके द्वारा आर आर डी 2005 पेज 363, आर आर डी 2005 पेज 349, आर आर डी. 2003 पेज 111 उद्धरत की ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी नम्बर 3 की तलबी में लम्बित थी और इसको 19.06.2017 को लोक अदालत में रखा गया जिसमें वकील प्रार्थिया उपस्थित हुए । इससे पूर्व दिनांक 13.04.2016 को शेष अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया गया था । लोक अदालत में प्रार्थिया के वकील उपस्थित थे । अप्रार्थीगण में से कोई उपस्थित नहीं था । इस दिनांक को प्रार्थिया के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया गया है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान श्री हर्ष खण्डेलवाल एवं श्री आकाश सहखातेदार होने के नाते इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे और उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो विधिक नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में श्री हर्ष खण्डेलवाल एवं आकाश को पक्षकार

बनाया जाकर समस्त पक्षकारों को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से निर्णय पारित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 130/2017 एवं 131/2017 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2017 अपास्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर और समस्त पक्षकारों को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.01.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा